

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रशासक,
सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपूर।

अभियंता प्रमुख-01 एवं 02,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची।

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

मुख्य अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची।

निदेशक,
भू-गर्भ जल निदेशालय, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

सभी अधीक्षण अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

सभी कार्यपालक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक :-

विषय:-जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत कार्यरत अभियंताओं की वार्षिक उपलब्धि आकलन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) के Online अभिलेख के संबंध में।

प्रसंग:-विभागीय संकल्प सं0-1603 दिनांक 08.05.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प सं0-1603 दिनांक 08.05.2019 द्वारा जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत कार्यरत अभियंताओं की वार्षिक उपलब्धि आकलन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) के Online अभिलेखन के संबंध में दिशा निदेश निर्गत है।

उक्त के संदर्भ में आपके प्रक्षेत्राधीन स्थापित विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित अभियंताओं का वार्षिक उपलब्धि आकलन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) के Online अभिलेख किया जाना है।

उपरोक्त के संदर्भ में वार्षिक उपलब्धि आकलन प्रतिवेदन का अभिलेखन निम्नांकित समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित करेंगे :-

क्रमांक	गतिविधि	अंतिम तिथि
1	2	3
1	प्रतिवेदित वर्ष के लिए स्व मूल्यांकन	30 सितम्बर
2	प्रतिवेदित प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन	31 अक्टूबर

1	2	3
3	समीक्षी प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन	30 नवम्बर
4	स्वीकरण प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन	31 दिसम्बर
5	प्रतिवेदित पदाधिकारी को खुलासे की सूचना देना	15 जनवरी
6	प्रतिवेदित पदाधिकारी की टिप्पणी, यदि कोई हो (यदि नहीं, APAR का जल संसाधन विभाग को भेजना)	31 जनवरी
7	यदि प्रतिवेदन पदाधिकारी टिप्पणी करता है तो स्वीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदित पदाधिकारी की टिप्पणी को समीक्षी एवं प्रतिवेदी प्राधिकारी को अग्रसारित करना।	15 फरवरी
8	प्रतिवेदी प्राधिकारी की टिप्पणियाँ	28 फरवरी
9	समीक्षी प्राधिकारी की टिप्पणियाँ	15 मार्च
10	स्वीकरण प्राधिकारी की टिप्पणियाँ/ APAR को अंतिम रूप दिया जाना एवं खुलासा करना।	31 मार्च

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में अपने प्रक्षेत्राधीन कार्यरत सभी अभियंताओं को निर्धारित समय अवधि में कार्यान्वयन हेतु संसूचित करेंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रबंध निदेशक, झालको, रॉची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, रॉची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निर्माण निगम लि., रॉची/ उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड रॉची/ उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड रॉची/ उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉची/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी), झारखण्ड रॉची/ उप सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड रॉची/ उप सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ उप सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 2950

रॉची, दिनांक :- 12/09/19

प्रतिलिपि:-वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव।